निर्णय बाईजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या : 13/20
दायरा दिनांक:: 19.02.2020

उनवान

1. द्वारका बाई पुत्री शिवलाल पत्नि बंशीलाल जाति रैगर नि0 रैगर मौहल्ला, कोटा रोड, सांगोद जिला कोटा
2. जानकी बाई बेवा शिवलाल रैगर निवासी बारां हाल मुकाम वार्ड नं0 14, रैगरों के मंदिर के पास मांगरोल तह.मांगरोल जिला बारां

— वादीगण

बनाम

1. रामभरोस पुत्र मोतीलाल जाति चमार नि0 राज के कुऐं के पास, शाहबाद वार्ड, बारां
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RTAct

उपस्थित :—

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0 प्रार्थी
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0 अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक :31.03.2021**

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके माल सुसावन तह. बारां खाता सं0 223 पुराना 226 ख0नं0 89 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 97 रकबा 0.89 है0 कुल 2 किता रकबा 1.02 है0 स्थित है। जो वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी कम सं. 1 के नाम खाते दर्ज है। उक्त आराजी को प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वर्णित विवादित आराजीयात पूर्व के खाता.सं0 226 के ख.नं0 89 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 97 रकबा 0.89 है0 कुल 2 किता रकबा 1.02 है0 अप्रार्थी कम सं. 1 एवं प्रार्थी कम 1 के पिता एवं प्रार्थी कम 2 के पति शिवलाल के नाम बांट बराबर खाते मे दर्ज है।

अप्रार्थी कम 1 ने न्यायालय के समक्ष 06.10.2011 को बउनवान रामभरोस बनाम शिवलाल प्रकरण सं. 127/11 प्रस्तुत कर दिनांक 12.10.2012 को एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित करवाते हुये इजराय प्रस्तुत कर श्रीमान् द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे उक्त विवादित वर्णित आराजीयात पर स्वयं का नाम बतौर खातेदार अंकित करवा दिया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय हाजा भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा केम्प बारां के समक्ष उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2012 के विरूद्व अपील सं. 80/2013 पर पंजीकृत कर दिनांक 25.11.2014 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ उपखण्ड न्यायालय बारां की निर्णय/डिक्री दिनांक 12.10.2012 को निरस्त फरमा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया। जिसकी आगामी पेशी 23.03.2020 नियत है।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है, जो संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई है तथा अप्रार्थी कम 1 ने शिवलाल की मृत्यु के तथ्य को छुपाते हुये न्यायालय को धोखा देने के आशय से दावा अंतर्गत धारा 88,89, आरटी एक्ट प्रकरण सं. प्रकरण सं. 127/11 प्रस्तुत कर दिनांक 12.10.2012 को एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री पारित करवाते हुये उक्त सम्पूर्ण विवादित आराजीयात को रहन बेचान करने पर तुला हुआ है जिसका उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी कम सं. 1 उक्त विवादित आराजीयात से सम्बंधित प्रकरण का निस्तारण होने से पूर्व ही स्वयं के खाते मे दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर रहन बेचान एवं खुर्द बुर्द करने को आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीगण दिनांक 12.02.2020 को विवादित आराजीयात पर गये थे वहां अप्रार्थी कम 1 एवं उसका सहयोगी अचानक आकर गाली गलौच करते हुये धमकी देकर कहने लगे कि उक्त आराजीयात मेरे अकेले के नाम दर्ज है तथा उसे जल्दी बेचान कर दूंगा। इस पर प्रार्थीगण 1 ने कहा कि उक्त आराजी हमारे सारे परिवार वालों की है तथा तुमने धोखे से स्वयं के नाम करवायी है। उपखण्ड न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज हो गया है और हमारा भी इस भूमि पर बराबर का अधिकार है। इतना कहने पर प्रार्थी कम 1 आवेश मे आ गया ओर धमकी देकर गया कि आज नही तो कल प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर काश्त कर कब्जा करके रहेगा तथा राजस्व रिकार्ड मे स्वयं का नाम होने पर सम्पूर्ण आराजीयात को बेचान करके रहूंगा। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। यह कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक आराजीयात है तथा अप्रार्थी कम 1 ने शिवलाल की मृत्यु के तथ्य को छिपाते हुये श्रीमान् के समक्ष दावा प्रस्तुत कर निर्णय/डिक्री दिनांक 12.10.2012 पारित करवाया। उपखण्ड न्यायालय के निर्णय/डिक्री 12.10.2012 को न्यायालय हाजा भू–प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निरस्त फरमा कर प्रकरण रिमांड किया गया है तथा वर्तमान मे प्रार्थीगण अपने हिस्से पर कब्जेकाशत है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अप्रार्थीगण कम 1 द्वारा उनके हिस्से की कब्जेकाश्त आराजी पर से बेदखल कर दिया व विवादित आराजीयात या उसके किसी भूभाग को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप मे संभव नही हो सकेगी। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा बउनवान रामभरोस बनाम शिवलाल प्रकरण सं. 127/11 का निस्तारण नही होने तक अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने एवं प्रार्थीगण को उनके हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात पर शांतिपूर्ण रूप से काश्त करने, रहन बेचान नही करने हेतु अप्रार्थी 1 को पाबंद करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही विवादित आराजीयात से सम्बंधित किसी भी दस्तावेज को पंजीयन नही करने एवं राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही कर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु भी निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीयान को एकपक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन उपरांत विचाराधीन प्रकरण सं. 127/11 का भी अवलोकन किया गया। उक्त विवेचन उपरांत पाया कि प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सिद्व होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से अप्रार्थीगण को दिनांक 23.03.2020 तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दो–तीन बार तलबाने/सम्मन भिजवाये गये।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी कम 1 की ओर से एड.हरिओम चतुर्वेदी द्वारा वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया।

अप्रार्थी 1 की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब पेश किया गया जो निम्न प्रकार है– प्रार्थना पत्र का मद सं.1 स्वीकार है। मद नं. 2 मे अंकित वर्णित आराजी अप्रार्थी 1 व प्रार्थिया 1 के पिता, कम 2 के पति शिवलाल के नाम बराबर दर्ज होना मिथ्या बनावटी निराधार होने से अस्वीकार है, शेष मद स्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता एवं पति शिवलाल पुत्र गुलाबचंद थे। नामांतरण सं. 140 दिनांक 02.09.1969 के सजरे मे शिवलाल का मोतीलाल का पुत्र दर्शाकर राजस्व रिकार्ड मे शिवलाल का नाम गलत दर्ज कर दिया। मृतक मोतीलाल का एक मात्र पुत्र रामभरोस है जो रामभरोस का एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। मद नं. 3 मे वर्णित विवादित आराजीयात प्रार्थियागण के पैतृक सम्पति होना एवं संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई होना, सम्पूर्ण आराजियात पर अप्रार्थी कम 1 का कोई हक अधिकार नही होना मिथ्या बनावटी निराधार होने से अस्वीकार है। अपितु कथन किया है कि प्रार्थिया कम 03 व 04 के पिता व पति शिवलाल अप्रार्थी कम 01 के काका गुलाबचंद का पुत्र है। शिवलाल के जन्म के उपरांत ही गुलाबचंद का देहांत हो जाने से शिवलाल की माता दूध पीते शिवलाल को साथ लेकर ग्राम नाडी जिला बूंदी मे नाते चली गयी। शिवलाल भी अपनी माता के साथ रहा, वही पला बडा हुआ। मोतीलाल के इकलौता पुत्र अप्रार्थी कम 1 रामभरोस ही एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। मद नं0 4 मिथ्या बनावटी, अधिकारहीन, निराधार होने से अस्वीकार है। विवादित आराजी मोतीलाल की स्वअर्जित आराजी होने से मृतक मोतीलाल का एक मात्र विधिक वारिस एवं मोतीलाल की आराजी का विरासतन प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी के अंतरण एवं हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकारी होने से प्रार्थीयागण को विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। मद नं. 5 मिथ्या बनावटी, अधिकारहीन, निराधार होने से अस्वीकार है। विवादित आराजी पर अप्रार्थी कम 1 एक मात्र मालिक स्वामी है, अपितु कथन किया है कि विवादित आराजी प्रार्थियागण का कोई वादाधिकार एवं लोकल स्टेण्डाई न होने से प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय न होने से निरस्तनीय है। मद नं0 6 मिथ्या बनावटी, अधिकारहीन, निराधार होने से अस्वीकार है, अपितु कथन किया है कि सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी कम 1 एक मात्र मालिक स्वामी एवं काबिज काश्त होने से वाद सं. 127/11 प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थी कम्र 1 के कब्जेकाश्त एवं खाते मे होने मे सुविधा का संतुलन अप्रार्थी कम 1 के पक्ष मे है। प्रार्थीगण के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा ज़ारी करने से अप्रार्थी कम 1 को अपूरणीय क्षति होगी एवं परिवार का जीवन निर्वाह प्रभावित होगा जिसका मुद्रा मे आंकलन करना असंभव है। मद सं. 7 मिथ्या बनावटी, अधिकारहीन, निराधार होने से अस्वीकार है। मद सं. 8 का जवाब वक्त बहस प्रार्थीगण के कथानुसार देने का कथन किया। मद नं. 9 प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है।

प्रस्तुत जवाब के साथ वकील अप्रार्थी द्वार विशेष आपत्तिया दर्ज करवायी जो निम्न प्रकार है– उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थी कम 1 के पिता मोतीलाल ने स्वअर्जित आय से सम्वत् 2004 मे नीलामी बोली मे 105/–रू. मे कय किया था जिसका नीलामी सर्टिफिकेट तहसील बारां द्वारा जारी किया गया था। अप्रार्थी कम 1 के पिता मोतीलाल के सगे भाई गुलाबचंद पुत्र शिवलाल था। शिवलाल की माता गुलाबचंद की मृत्यु के बाद दूध पीते पुत्र शिवलाल को छोडकर नाते चली गई। शिवलाल ने पुत्री द्वारक्या बाई प्रार्थिया को

उप खण्ड अधिकारी 162
बारां

Scanned by CamScanner

ग्राम नाडी मे ही जन्म दिया एवं शिवलाल की मृत्यु ग्राम नाडी जिला बूंदी मे हुई। अप्रार्थी क्रम 1 की बाल्यावस्था मे पिता मोतीलाल का निधन होने से फौती नामांतरण सं. 140 मे हल्का पटवारी द्वारा मृतक मोतीलाल के विधिक वारिसान के सजरे मे मृतक मोतीलाल के पुत्र रामभरोस के साथ–साथ शिवलाल को पुत्र दर्शाकर दिनांक 02.08.1969 मे गलत नामांतरण तस्दीक कर दिया। उक्त नामांतरण को अवैध शून्य होने से शिवलाल का नाम जमाबंदी मे दाखिल खारिज करवाकर सम्पूर्ण विवादित आराजी का खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्थितिकी की घोषणा करवाने हेतु इस न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। अप्रार्थी क्रम 01 रामभरोस के पिता मोतीलाल की स्वअर्जित आराजी होने से उक्त विवादित आराजी मे प्रार्थीगण को कोई वादाधिकार एवं लोकल स्टेण्डाई नही है, विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे नामांतरण सं. 140 दिनांक 02.08.1969 से शिवलाल पुत्र मोतीलाल का नाम संयुक्त खातेदारी मे गलत दर्ज हुआ है क्योकि मोतीलाल के रामभरोस के अलावा कोई वारिस ही नही है। प्रार्थिया गण मृतक शिवलाल पुत्र गुलाबचंद की पुत्री एवं पत्नि है। प्रार्थीगण ने हजारीलाल पुत्र मन्नालाल से मिलीभगत कर अप्रार्थी क्रम 01 को परेशान करने एवं रूपये ऐंठने की गरज से प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्तनीय है। अवैध शून्य हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से असंगत नामांतरण सं. 140 दिनांक 02.08.1969 से खाते दर्ज शिवलाल के नाम को आधार बनाकर प्रार्थियागण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी, निराधार, वादाधिकारहीन होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किया जावें।

अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा अपने पक्ष मे स्वयं, गोविन्दलाल पुत्र रामनारायण, निवासी रैगर बस्ती, मांगरोल दरवाजा, बारां एवं मोहम्मद उमर पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी मांगरोल दरवाजा, बारां, परमानंद भारती पुत्र स्व.श्री नारायण लाल रैगर निवासी राज कुयें के पास, शाहबाद वार्ड, बारां के शपथ पत्र पेश किये।

मेने विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड एवं शपथ पत्रों का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर पाया जाता है तथा आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में होने से सुविधा का संतुलन एवं अपुर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में पायी जाती है परंतु विवादित आराजी वर्तमान में अप्रार्थी 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त आराजी के रहन, वय एवं अन्य प्रकार से हस्तांतरण की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी में किए गए उक्त सभी कथनों का अन्तिम रूप से निर्धारण दावे में तय होने तक दावें के निर्णय तक उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय हित मे होगा।

अतः प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाकर ता. फैसला दावा उभयपक्षों के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित आराजी माल सुसावन तह. बारां खाता सं0 223 पुराना 226 ख0नं0 89 रकबा 0.18 है0, ख.नं. 97 रकबा 0.89 है0 कुल 2 किता रकबा 1.02 है0 पर उभयपक्ष एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी ना तो स्वयं करे और ना ही करवाए। विवादित उक्त आराजी का रहन, बेचान, भारवंधक ना करें ना अन्य प्रकार से मुक्तकिल ही करें आराजी को तृतीय पक्षहित अंतरण ना करें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned by CamScanner